उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्या 02 सन् 2005)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन के लिए : –

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : –

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निम्नवत संशोधन कर दिया जाएगा : –

शब्द 'दो सदस्य' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह सदस्य' रख दिए जाएंगे।

C:\Documents and Settings\Acer OEM User\My Documents\Pandey\Act.doc